

संख्या-ए-32013/04/2023-केहिप्रसं/ 2168

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

7वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
7th Floor, Pt.Deendayal.Antyodaya Bhawan,

सी जी ओ परिसर, लोदी रोड,
C.G.O. Complex, Lodi Road,

नई दिल्ली/ New Delhi-110003

दिनांक 10 सितंबर, 2025

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर, 2025 के कार्यालय आदेश संख्या-21034/35/2023-राभा(प्रशि.) के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत हिंदी प्राध्यापकों को वेतनमान ₹56,100-1,77,500, लेवल-10, (पूर्व संशोधित पीबी-3, ₹15600 39100+5400 ₹ ग्रेड वेतन) में सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर पदोन्नति की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान करने के फलस्वरूप निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स	हिंदी प्राध्यापक का नामश्री/श्रीमती/कुमारी	श्रेणी	जन्म तिथि	पैनल वर्ष
1.	राम प्रकाश यादव, हि.प्रा.	सामान्य	01.02.1983	2022
2.	किरण लता यादव, हि.प्रा.	सामान्य	03.06.1984	2022
3.	दीपक साव, हि.प्रा.	सामान्य	10.04.1987	2022
4.	पंकज यादव, हि.प्रा.	सामान्य	10.05.1987	2022
5.	पूनम साव, हि.प्रा.	सामान्य (दिव्यांग)	15.02.1987	2022
6.	अब्दुल सलाम, हि.प्रा.	सामान्य (दिव्यांग)	10.07.1984	2022
7.	पूनम, हि.प्रा.	सामान्य (दृष्टिबाधित दिव्यांग)	03.08.1977	2022
8.	कुमार संभव, हि.प्रा.	सामान्य (दिव्यांग)	15.07.1984	2022
9.	निधि यादव, हि.प्रा.	सामान्य	17.10.1989	2022
10.	रागिनी तिवारी, हि.प्रा.	सामान्य	11.07.1987	2022
11.	मुरली राम, हि.प्रा.	सामान्य	10.06.1987	2022
12.	मदन कुमार, हि.प्रा.	सामान्य	12.10.1980	2022

2. यह पदोन्नति any further other order which may be passed by Hon'ble supreme Court in Jarnail Singh batch of cases] SLP© No.30621/2011] के निर्णय के अधीन होगी।

3. श्री हर्ष मोहन कृष्णात्रेय, हिंदी प्राध्यापक पर " उनकी सेवा बर्खास्तगी की अवधि (दिनांक 10.05.2011 से 06.09.2023) के दौरान देय वेतन और भत्तों के भुगतान न करने की " शास्ति लगाई गई है तथा सुश्री सरोज बाला, हिंदी प्राध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक मामला प्रक्रियाधीन है तथा उन्हें चार्जशीट जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा दोनों कर्मिकों की सिफारिश शील्ड कवर में दी गई है।

(Handwritten Signature)

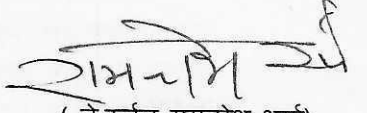
4. उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या-04 (श्रीमती पंकज यादव) तथा क्रम संख्या-09 (श्रीमती निधि यादव) क्रमशः दिनांक 01.07.2022 तथा 20.09.2023 को अपने पद से त्यागपत्र दे चुकी हैं।

5. यह पदोन्नति कार्मिकों द्वारा सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

6. जिन हिंदी प्राध्यापकों को पहले संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना(MACPS) के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ दिया चुका है, उन्हें अब पदोन्नति पर मूलभूत नियमावली के नियम 22(1)(क)(1) के तहत पुनः वेतन निर्धारण का अवसर नहीं दिया जाएगा।

7. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिए जाते हैं कि वे इस संबंध में नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

8. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को ये भी निदेश दिए जाते हैं कि वे अपने नियंत्रणाधीन संबंधित अधिकारियों की पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट मूलरूप में इस कार्यालय को भेजें ताकि कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भिजवाई जा सके।


(ले.कॉर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अवर सचिव (प्रशि), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 09 सितंबर, 2025 के कार्यालय आदेश सं.21034/35/2023-राभा(प्रशि.) के संदर्भ में।
2. वेतन तथा लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. क्षेत्रीय वेतन लेखा अधिकारी(सीआईएसएफ), गृह मंत्रालय, चेन्नै।
4. उप निदेशक/ सहायक निदेशक (भाषा) व कार्यालयाध्यक्ष (मुख्यालय/ मध्योत्तर/ पूर्व/ पश्चिम/ दक्षिण/ पूर्वोत्तर) नई दिल्ली/कोलकाता/मुंबई/चेन्नै/गुवहाटी। कृपया अपने क्षेत्र के हिंदी प्राध्यापकों को निदेश दें कि वे एक माह के अंदर पदोन्नति पर सहायक निदेशक(भाषा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं और उनकी पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी।
5. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) हिंदी शिक्षण योजना (पूर्व-पूर्वोत्तर/ मध्योत्तर/दक्षिण-पश्चिम) कोलकाता/ नई दिल्ली/ नवी मुंबई।
6. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/उपसंस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद/ बंगलुरु।
7. सहायक निदेशक (भाषा) व कार्यालयाध्यक्ष (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
8. सलाहकार उप निदेशक(भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
9. सहायक निदेशक(हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, कैहिप्रसं, नई दिल्ली कृपया इसे कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. संबंधित हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना।
11. एक-एक प्रति संबंधित अधिकारियों की सेवापंजी/निजी फाइल हेतु।